

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांक : संनि/स्कूशि/भरत/वरिष्ठता (द्वि0वे0श्रु0)/2020/219 दिनांक : 12.03.2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाईमाधोपुर

विषय :- वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की भरतपुर मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची वर्ष 2008-09 से 2013-14 में नामांकन/विलोपन/ योग्यता अभिवृद्धि/अन्य संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- निदेशालय मा0शि0 राजस्थान बीकानेर का परिपत्र दिनांक 04.11.19 एवं पत्रांक शिविरा/ माध्य/ संस्था/ वरि./ के-2/ 11968/ मानदण्ड/ 2019-20 दिनांक 02.03.2020

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रांक की अनुपालना में द्वितीय वेतन शृंखला अध्यापकों/शारीरिक शिक्षकों की भरतपुर मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची वर्ष 2008-09 से 2013-14 में योग्यता अभिवृद्धि, नवीन नामांकन, विलोपन एवं अन्य संशोधन हेतु अंतिम तिथि 20.03.2020 निर्धारित की जाती है। आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में उक्त बावत निर्देश जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि भरतपुर संभाग में वरिष्ठता सम्बन्धी कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे।

अधीनस्थ कार्यालय योग्यता अभिवृद्धि, नवीन नामांकन, विलोपन एवं अन्य संशोधन हेतु आवेदन पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को अग्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें -

- ✓ किसी कार्मिक के द्वारा यदि चालू वर्ष में योग्यता अभिवृद्धि की जाती है तो आवेदन पत्र 6 माह के अन्दर उचित माध्यम से संभाग कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों में अधीनस्थ कार्यालय सम्बन्धित कार्मिक से संस्थाप्रधान के माध्यम से आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण लिखित में प्राप्त करें तदोपरान्त आवेदन पत्र पर इन्द्राज कर अभिशंभा सहित भिजवावें।
- ✓ योग्यता अभिवृद्धि/विलोपन हेतु आवेदन पत्र में द्वितीय वेतन शृंखला मण्डल स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष का स्पष्ट अंकन करें।
- ✓ किसी कार्मिक का संभाग परिवर्तन/रिब्यू डीपीसी/न्यायिक प्रकरण के कारण नवीन नामांकन/विलोपन होता है तो ऐसे प्रकरणों के लिए किसी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं होगी।
- ✓ किसी कार्मिक की प्रकाशित वरिष्ठता सूची में नाम/उपनाम/जन्मतिथि/वर्ग/लिंग व अन्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रकरणों में किसी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं होगी।
- ✓ यदि कार्मिक अनुसूचित जाति/जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

www.rajteachers.com

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
भरतपुर संभाग भरतपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाईमाधोपुर
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - समस्त भरतपुर संभाग
4. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक करौली

क्रमांक :- जिशिअ/मा0शि0/2020/333

दिनांक :- 16-03-2020

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

जिला - करौली

उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय माध्यमिक करौली)